

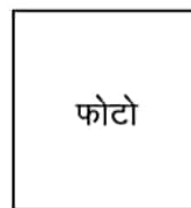
आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम:- _____
2. पिता का नाम:- _____
3. आवेदित विद्यालय का नाम मय NIC:- _____
4. आवेदित पद का नाम मय विषय:- _____
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि:- _____
6. जन्म तिथि:- _____
7. यदि आप सेवा निवृत्त कार्मिक है तो सेवा निवृत्ति तिथि मय PPO No.:- _____
8. शैक्षणिक योग्यता:-

1. माध्यमिक	वर्ष-----	प्रतिशत-----	संलग्न-1
2. उच्च माध्यमिक	वर्ष-----	प्रतिशत-----	संलग्न-2
3. स्नातक	वर्ष-----	प्रतिशत-----	संलग्न-3
4. अधिस्नातक	वर्ष-----	प्रतिशत-----	संलग्न-4
9. प्रशैक्षणिक योग्यता

1. बी.एड./समकक्ष	वर्ष-----	प्रतिशत-----	संलग्न-5
2. डी.एल.एड./समकक्ष	वर्ष-----	प्रतिशत-----	संलग्न-6
10. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)- रीट,उत्तीर्णता वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-7
11. निवास का पता:-

1. स्थाई-----	
2.वर्तमान-----	
12. मोबाईल नम्बर:------
13. जाति वर्ग-----प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न-8
14. अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्ट्स पर्सन) संलग्न-9
15. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न-10
16. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न-11
17. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त) संलग्न-12 व 13
18. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि-चूँकि मेरी सेवाए गेस्ट फैंकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैंकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।



आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची-संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ-पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
.....विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को
गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने.....विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....
.....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित
शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम)
विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.....को
अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं
तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख
एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन
पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास,
जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं
यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे
गैस्ट फेकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के
empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही
मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं
करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार
अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/
करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फैंकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैंकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैंकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

चरित्र प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमति

..... पुत्र/पुत्री/पत्नी

..... निवासी

.....को मैं व्यक्तिगत रूप से

..... माह/वर्षों से जानता/जानती हूँ तथा जहाँ तक मेरी जानकारी

है इनका नैतिक चरित्र उत्तम है।

दिनांक

हस्ताक्षर

(कार्यालय की मुहर सहित)